

**राजस्थान सरकार**  
**नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक प. 4(7)नविवि/II/2022

जयपुर, दिनांक:

25 JUL 2023

**—आदेश—**

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/पुलिस द्वारा पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों में नगर सुधार न्यासों/प्राधिकरणों के निलम्बित राजसेवकों के मामलों का पुनरावलोकन करने हेतु इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(5)नविवि/II/2012 दिनांक 25.06.2012 द्वारा गठित कमेटी की बैठक दिनांक 11.07.2023 में सर्वसम्मति से लिये गए निर्णयानुसार श्री श्याम कुमार मालू कनिष्ठ अभियन्ता को एतद्वारा निलम्बन से बहाल किया जाता है।

श्री मालू को बहाली पश्चात् नगर विकास न्यास, जैसलमेर में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री श्याम कुमार मालू की निलम्बन अवधि का नियमितिकरण सक्षम न्यायालय में पारित निर्णय के अधधीन किया जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अवधेश सिंह)

संयुक्त शासन सचिव—तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक—द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को पत्रांक भ्रनिब्यूरो/पु. अ.प्र./2022/648-51 दिनांक 28.03.2022 के संदर्भ में।
5. पुलिस अधीक्षक—प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर को पत्रांक भ्रनिब्यूरो/पु.अ.प्र./2022/376-81 दिनांक 09.02.2022 के संदर्भ में।
6. सचिव, नगर विकास न्यास, जैसलमेर।
7. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. श्री श्याम कुमार मालू, कनिष्ठ अभियन्ता को पालनार्थ
9. रक्षित/निजी पत्रावली।

Signature valid

संयुक्त शासन सचिव—तृतीय  
Digitally signed by Avadhesh Singh  
Designation: Joint Secretary To  
Government  
Date: 2023.07.19 15:45:04 IST  
Reason: Approved

